न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

शस्त्र वाद संख्या– 13/2006–07

राज्य बनाम राजेन्द्र यादव

आदेश

प्रस्तुत शस्त्र वाद पुलिस अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक 1780 सी०आर० दिनांक– 02.06.2005 के आलोक में दाखिल किया गया है।

सलखुआ थाना काण्ड संख्या– 25/05 दिनांक– 17.05.2005 धारा– 147, 148, 149, 323, 307 भा०द०वि० एवं आमर्स एक्ट की धारा– 27 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण राजेन्द्र यादव द्वारा धारित दोनाली बन्दूक संख्या– 2857 अनुज्ञप्ति संख्या– 2853/129 की अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंध में राजेन्द्र यादव से कारण–पृच्छा की मांग की गयी थी।

राजेन्द्र यादव का दिनांक– 22.7.2005 को समर्पित कारण–पृच्छा में कहना है कि अंकित काण्ड 25/05 सौरबाजार थाना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सलखुआ थाना का है तथा आदेश प्राप्ति के उपरान्त उन्होंने सलखुआ थाना में दिनांक– 17.05.2005 को शस्त्र जमा कर दिया था। अग्रतर प्रतिपक्षी का कहना है कि जब तक दाखिल आपराधिक वाद में अन्तिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अनुज्ञप्ति को निलम्बित किये जाने न कि रद्ध किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने पर्यवेक्षण का हवाला देते हुए कहा है कि गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि उनके बन्दुक से गोली नहीं चलायी गयी थी। गोली प्रमोद एवं पवन यादव द्वारा चलायी गयी थी। अन्ततः प्रतिपक्षी ने वाद की सुनवाई कर शीघ्र आदेश पारित करने की याचना की है।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। पूरे कार्यवाही के दौरान प्रतिपक्षी न्यायालय से अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण इन्हें नहीं सुना जा सका।

दिनांक– 15.02.2010 को इस न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी राजेन्द्र यादव को निदेशित किया गया था कि व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन सलखुआ थाना काण्ड संख्या– 25/05 की अद्यतन स्थिति अगली तिथि तक उपलब्ध कराएँ, परन्तु दिनांक– 15.02.2010 से लेकर अद्यतन न तो प्रतिपक्षी द्वारा लम्बित वाद की अद्यतन स्थिति संबंधी जानकारी दी गयी और न हीं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखा गया।

इस तरह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी राजेन्द्र यादव को वाद की कार्यवाही में कोई चिलचस्पी नहीं है।

उल्लिखित तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्र संख्या 1780 दिनांक 02.06.2005 से प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रतिपक्षी राजेन्द्र यादव के नाम निर्गत दोनाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या– 2853/129 रद्ध किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

30.3.2011

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

D:\Santosh Sanhi jee\Collector Court Order-1\State Vs. Rajendra Yadav.docx

ज्ञापांक 859-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक–09 अप्रील, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला शस्त्र पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

12